बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

पत्रांक – मं0मं0–01/आर0–28/2006 434 दिनांक 1/3/07

संकल्प

सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में नीति एवं प्रकिया का निर्धारण मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं0–3918 दिनांक–25.10.1980 द्वारा किया गया था। उसके पश्चात् संदर्भित संकल्प के खंड (क) (1) में भी आंशिक संशोधन विभागीय संकल्प सं0–2079 दिनांक–18.11.2006 द्वारा किया गया था। अतः सरकार द्वारा इस मामले में पुर्नविचार किया गया एवं वर्त्तमान नीति एवं प्रकिया को चुस्त एवं दुरूस्त बनाने के लिए उपर्युक्त पूर्वादेश को अवकमित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

1) क) सामान्य स्थानान्तरण/पदस्थापन साल में एक बार जून माह में किया जायेगा; प्रोन्नति, कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कारणों में सक्षम पदाधिकारी स्तर से एक स्तर ऊपर का अनुमोदन आवश्यक होगा।

ख) स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए स्थापना समिति नहीं रहेगी, बल्कि प्रभारी पदाधिकारी ऐसे सरकारी सेवक, जो अपने वर्त्तमान पद पर 3 साल पूरे कर चुके हैं, उनके स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु प्रत्येक वर्ष मई माह में संचिका उपस्थापित करेंगे। सामान्यतया निम्नलिखित मार्गदर्शन निर्धारित किये जाते हैं :–

i) पदाधिकारी/कर्मचारी 3 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं। किसी विशेष पद या स्थान के लिए यह अवधि 2 वर्ष भी हो सकती है जिसे विभाग द्वारा स्थायी आदेश के जरिये निर्धारित किया जायेगा।

ii) जहाँ तक संभव हो, सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में पदाधिकारी/कर्मचारी के अपने मनोनुकूल स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी, जिनके पदस्थापन की अवधि समाप्त होने वाली है, अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में कोई अभ्यावेदन देना चाहे, तो वे प्रत्येक साल के अप्रैल तक अभ्यावेदन सक्षम पदाधिकारी के पास विचार हेतु भेज सकता है। अगर पदाधिकारी/कर्मचारी के अभ्यावेदन पर स्थानान्तरण/पदस्थापन होता है, तो उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता तथा पारगमन अवधि अनुमान्य नहीं होगी।

ग) यदि कोई पदाधिकारी अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में बाह्य व्यक्ति से सिफारिश कराते हैं या प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का मौका देकर, यह बात उनकी चरित्र–पुस्ति में दर्ज कर दी जाएगी।

घ) सरकारी सेवकों द्वारा सीधे विभागीय मंत्री को स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में प्रार्थना–पत्र संबोधित किये जाने की पद्धति अनियमित है एवं इसे अमान्य कर दिया जाय। परन्तु यदि पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर संबंधित विभाग/पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही हो अथवा विलम्ब किया जा रहा हो तो ऐसे विलम्ब के विरूद्ध विभागीय मंत्री को अभ्यावेदन (मेमोरियल) दिया जा सकता है।

च) नियंत्रण पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश प्राप्त होने पर अविलंब विरमित कर देंगे।

छ) किसी पदाधिकारी/कर्मचारी की गृह जिला में पदस्थापन (जिला संवर्ग को छोड़कर) नहीं किया जायेगा।

ज) किसी पदाधिकारी/कर्मचारी की पत्नी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

झ) यथासंभव पति–पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा, अगर पति–पत्नी एक विभाग के नियंत्रणाधीन हों। लेकिन जहाँ पति अथवा पत्नी में एक पद ऐसा हो, जिसका स्थानान्तरण संभव नहीं है, यथा चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापित शिक्षण कार्य में संलग्न चिकित्सक आदि, तो वैसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा।

2) यह देखा जाता है कि प्रायः पदाधिकारी/कर्मचारी अपने गृह जिला के पड़ोसी जिला में पदस्थापन चाहते हैं। यथासंभव ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

3) सचिव अपने मंतव्य के साथ स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रस्ताव मंत्री को उपस्थापित करेंगे। मंत्री का आदेश अंतिम होगा।

4) किसी भी हालत में किसी विभाग में संवर्ग बल के कुल कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी के 10 प्रतिशत से ज्यादा स्थानान्तरण/पदस्थापन एक वर्ष में नहीं होगा। अगर प्रोन्नति अथवा कार्यहित में ऐसी आवश्यकता हुई तो सक्षम स्तर से एक स्तर ऊपर का आदेश प्राप्त कर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा सकता है।

5) उपर्युक्त के अतिरिक्त अधोलिखित रूप में स्थानान्तरण/पदस्थापन सक्षम प्राधिकार के स्तर से निपटाये जायेंग :–

विषय	*सक्षम प्राधिकार*
1. राजपत्रित सेवाओं के बेसिक ग्रेड के कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन।	मंत्री
2. राजपत्रित सेवाओं के बेसिक ग्रेड के ऊपर के दो ग्रेड्स एवं समकक्ष ग्रेड्स में कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन।	मंत्री
3. राजपत्रित सेवाओं के उपर्युक्त (1) एवं (2) में उल्लिखित पदाधिकारियों से भिन्न एवं राज्य सेवाओं के वरीयतम ग्रेड्स मं कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन।	मुख्य सचिव के मार्फत से मुख्यमंत्री
4. विभागाध्यक्षों की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन तथा अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण पदस्थापन एवं प्रोन्नति के सभी प्रस्ताव तथा विभागीय सचिवों, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव के पदस्थापन संबंधी सभी प्रस्ताव।	मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री
5. बेसिक ग्रेड से निम्नतर ग्रेड्स में कार्यरत पर्यवेक्षकीय स्तर के कर्मियों का पदस्थापन एवं स्थानान्तरण।	विभागाध्यक्ष

6) यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

<u>आदेश</u> :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित किया जाय और इनकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(गिरीश शंकर)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक – मं0मं0–01/आर0–28/2006-431 दिनांक 1/3/07

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव/सभी राज्यमंत्रीयों के आप्त सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/07
(गिरीश शंकर)
सरकार के सचिव